प्रेस विज्ञप्ति
9/6/2026

आरबीआई द्वारा यूनिवर्सल बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में फेमा उल्लंघनों के संबंध में कंपाउंडिंग आदेश जारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिवर्सल बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में लंबित कार्यवाही, जिनके लिए कंपाउंडिंग आदेश पारित किया गया है, समाप्त हो गई है। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' के उपरांत आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जांच की गई। जांच पूर्ण होने के पश्चात ईडी ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित उल्लंघन इंगित किए गए, जिनका बाद में कंपाउंडिंग किया गया:

• विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2000 के विनियम 16(1) के उल्लंघन में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्यात करने में विफलता, जिसमें ₹39,07,29,387/- की राशि सम्मिलित थी।

उक्त उल्लंघन के संबंध में कंपनी द्वारा बाद में अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार आरबीआई के समक्ष कंपाउंडिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आरबीआई द्वारा संदर्भित किए जाने पर, प्रवर्तन निदेशालय ने अधिनियम की भावना के अनुरूप उक्त उल्लंघन के कंपाउंडिंग पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 18.03.2026 को पारित कंपाउंडिंग आदेश के माध्यम से ₹29,81,000/- (रुपये उनतीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की एकमुश्त राशि के भुगतान पर उक्त उल्लंघन का कंपाउंडिंग कर दिया।

इसके फलस्वरूप, उक्त उल्लंघन के संबंध में कंपनी के विरुद्ध फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत चल रही न्यायनिर्णयन कार्यवाही तथा उससे संबंधित भावी विधिक कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं।